ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स

फेसिलिटेटर्स गाइड

कैपेसिटी बिल्डिंग मॉड्यूल

सामाजिक सुविधा संगम

Supported by Samajik Suvidha Sangam

Module prepared by Centre for Advocacy & Research

ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स

फेसिलिटेटर्स गाइड

कैपेसिटी बिल्डिंग मॉड्यूल

सामाजिक सुविधा संगम

यह मॉड्यूल सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिचर्स द्वारा मिशन कन्वर्जेंस के लिये तैयार किया गया है।

lh-,Q-,-vkj- Vhe

अखिला सिवदास
सम्बित महान्ति
प्रमोद चौहान

fo'k"k /kU;okn

सेंट स्टीफन हॉस्पिटल डिस्पेंसरी
निर्माण

e[; QflfyVVl

आर. ए. प्रजापति
नदीम अफज़ल
स्मिता के.
देवराज सिंह
सुभद्रा तिवारी
विजय पांडे

विषय सूची

क्रमांक		पृष्ठ संख्या
ekM;y&1		
1.	मॉड्यूल का उद्देश्य	9
2.	आइस ब्रेकिंग	10
3.	परिस्थिति–विषयक आंकलन	11
4.	मूल्य स्पष्टीकरण	15
5.	फाउन्डेशन प्रोसेस की समझ मिशन कन्वर्जेंस क्यों औचित्य और शुरूआत	19
6.	प्री–रिएल्टी चेक अभ्यास	21
7.	प्रारंभिक कदम–समुदाय उनकी जरूरतों, चिंताओं और समस्याओं के बारे में सीखना (तिगड़ी पर किया गया रिएल्टी चैक)	22
8.	मिशन के लक्ष्य एवं उद्देश्य	24
9.	कम्यूनिकेशन अभ्यास	27
10.	मिशन कन्वर्जेंस का ढांचा	28
11.	रोल प्ले अभ्यास	31
ekM;y&2		
1.	उद्देश्य	34
2.	सर्वे के पहले का अभ्यास	35
3.	सर्वे	37
4.	आउटरीच प्लानिंग पर अभ्यास	39
5.	योजना की सुपुर्दगी	41

मॉड्यूल- 1

मिशन कन्वर्जेंस

- लक्ष्य
- उद्देश्य
- ढांचा

मुख्य उद्देश्य

सहभागियों को समर्थ बनाना जिससे कि वह :

- मिशन कन्वर्जेंस के बारे में व्यक्तिगत समझ को आत्मसात और विकसित कर सके।
- सृजनशील तरीके से मिशन कन्वर्जेंस के सिद्धांतों, मुख्य प्रक्रियाओं और रणनीतियों में भागीदार बनाएं।
- मिशन कन्वर्जेंस के बारे में भागीदार (समुदाय, स्वयंसेवी संस्थानों व मीडिया) के साथ प्रभावी ढ़ग से संवाद कर सके।
- एक जानकारीयुक्त, क्रियात्मक और भरोसेमंद तरीके से संवाद कर सके।

सत्र संचालन

प्रारम्भिक सत्र : आइस ब्रेकिंग के साथ शुरूआती सत्र

अवधि : 20 मिनट (10:00 से 10:20 बजे)

ट्रेनिंग वर्कशाप का शुभारंभ सभी सहभागियों के परिचय से हो जिसमें वह अपना परिचय देने के साथ–साथ अपने कार्य के बारे में भी बतायें। परिचय के बाद इस कार्यशाला को आयोजित करने का उद्देश्य सहभागियों को बतायें।

आइस ब्रेकिंग :

अक्सर किसी भी प्रशिक्षण या कार्यशाला में आने वाले सहभागी तनावपूर्ण स्थिति में होते हैं इसलिए यह आवश्यक है कि सभी सहभागी सहज हो। इसके लिए सत्र की शुरूआत आइस ब्रेकिंग से करें। आइस ब्रेकिंग का उद्देश्य :

- सहभागियों को सहज भागीदार बनाना ।
- सहभागियों को इस तरह सहज बनाना जिससे कि वह अपने मन में आ रहे विचारों, टिप्पणियों और प्रतिक्रियाओं को व्यक्त कर सकें, ताकि आरम्भ से ही प्रक्रिया के संचालन में मदद कर पाएं ।
- यह सुनिश्चित करना कि सभी सहभागी अपनी रोजमर्रा की जिन्दगी के दृष्टिकोणों और अपने अनुभवों को साझा कर सकें ।

टूल: फोटोग्राफ व अखबार में छपी खबरों की हेडलाइन के कोलाज का हैण्ड आउट

प्रक्रिया:

फेसिलिटेटर सभी सहभागियों को हैण्ड आउट बांटें व उनसे कहें कि वह यह भूल जायें कि वह किसी संस्था में काम करते हैं। वह एक आम आदमी की तरह इस

कोलाज़ को देखें और उनके मन में जो भी विचार आ रहे हैं उनको सहजता से व्यक्त करें। चाहे वह किसी फोटोग्राफ या अखबार में छपी हेडलाइन को देखकर हो।

फेसिलिटेटर के लिए टिप्स

फेसिलिटेटर को यह सुनिश्चित करना है कि सहभागी अपने मन में आ रहे विचारों को बताने में हिचकिचाहट महसूस न करें।

आइस ब्रेकिंग के सत्र को समाप्त करते हुए अगले सत्र शहर पर परिस्थिति-विषयक आंकलन से जोड़े।

परिस्थिति-विषयक आंकलन

अवधि : 20 मिनट (10:20 से 10:40 बजे)

टूल : ऑडियो विजुअल

विषयवस्तु :

1. दिल्ली के गरीब लोगों के जीवन की गुणवत्ता के बारे में परिस्थिति–विषयक आंकलन।
2. शहरी गरीबों के सशक्तीकरण और उनके साथ किये गये सामाजिक अन्याय को चुनौती देने में ''गांधी'' की प्रासंगिकता।

प्रक्रिया : 1

दिल्ली के गरीब लोगों पर ऑडियो विजुअल स्पष्ट रूप से उनकी दुर्दशा दर्शाता है।

हाशिए पर रखना

"दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में सात से आठ लोग 6/8 के कमरे में रहते हैं।"

- दिल्ली डेवलपमेंट रिर्पोट-2006

"हमारी जरूरतों की बहुत लंबे समय से अनदेखी हो रही है, इस देश की उन्नति में हमारा भी हिस्सा होना चाहिए।"

- बाल रूप गौतम

उपेक्षा

"इस शहर में जो लोग दूसरों के लिए घर बनाते हैं, उनके पास खुद रहने के लिए जगह नहीं होती।"

- मनोज, निर्माण मजदूर

वंचित होना

"हमारा खर्चा कर्जे पर चलता है, कभी-कभी तो हमारे पास सुबह की चाय के लिए भी पैसे नहीं होते।"

-चंपा, ग्यासपुर बस्ती, दिल्ली

भेदभाव

"बीपीएल परिवारों के एक-तिहाई बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध नहीं कराई जाती।"

-दिल्ली डेवलपमेंट रिर्पोट-2006

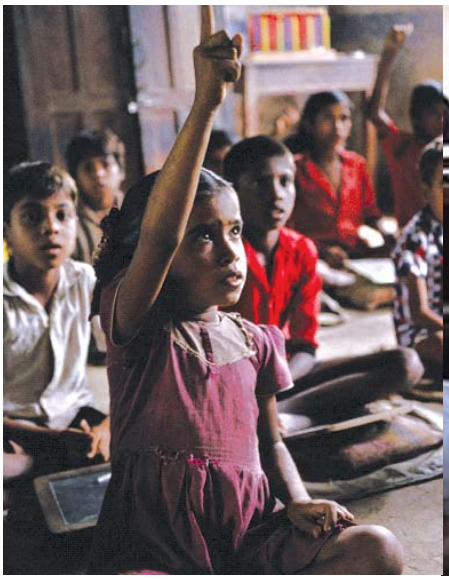

फेसिलिटेटर के लिए टिप्स

फेसिलिटेटर को सुनिश्चित करना होगा कि ऑडियो विजुअल में अमीर और गरीब के बीच की सामाजिक खाई दर्शाने के लिए पेश किए गए आंकड़ों को जनता के इन अनुभवों के साथ परस्पर जोड़े।

मूल्य स्पष्टीकरण

अवधि : 20 मिनट (10:40 से 11:00 बजे)

गांधीजी पर फिल्म 'एक खोज' व ऑडियो–विजुअल दिखाने के क्या मायने हैं और उसका उद्देश्य क्या है :

1. सहभागियों को गांधीजी के उस कथन (quote) के साथ जोड़ना जिसको कि मिशन कन्वर्जेंस ने मिशन वक्तव्य (Mission Statement) के रूप में अपनाया है।

2. इसके अलावा, गरीबों एवं कमजोर वर्गों की चिंताओं को संबोधित करने में गांधीजी की प्रासंगिकता ।

टूल : ऑडियो–विजुअल, लोकप्रिय फिल्म 'मुन्ना भाई एम.बी.बी.एस' के अंश

विषयवस्तु :

- गांधीजी के मशहूर मिशन वक्तव्य को पढ़ना।
- 'मुन्ना भाई' फिल्म के अंश।
- आज की स्थिति गांधीजी के समकालीन (Contemporary) या सामाजिक रूप से जागृत नागरिकों को दिखाना।

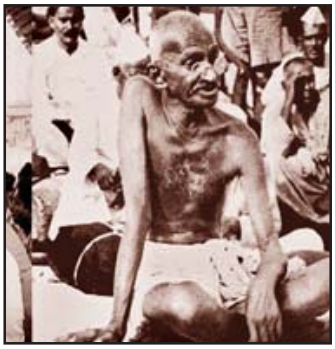

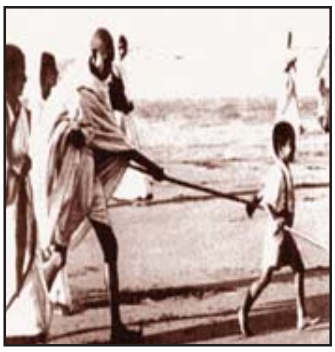

मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ।

जब भी तुम्हें संदेह हो या तुम्हारा अहम् तुम पर हावी होने लगे,

तो यह कसौटी आजमाओ।

जो सबसे गरीब और कमजोर आदमी तुमने देखा हो,

उसकी शक्ल याद करो और अपने दिल से पूछो कि जो कदम उठाने जा रहे हो,

वह उस आदमी के लिए कितना उपयोगी होगा।

क्या उससे उसे कुछ लाभ पहुँचेगा?

क्या उससे वह अपने ही जीवन और भाग्य पर कुछ काबू रख सकेगा?

यानि क्या उससे उन करोडों लोगों को स्वराज्य मिल सकेगा,

जिनके पेट भूखे हैं और आत्मा अतृप्त हैं?

तब तुम देखोगे कि तुम्हारा संदेह मिट रहा हैं और

अहम् समाप्त होता जा रहा है।

- महात्मा गांधी

प्रक्रिया :

;g v,fM;¨&fo t|vy Li"V djrk g| %

- गरीबों की यथास्थिति बदलने या उनके लिए काम करने वाले व्यक्ति के लिए गांधीजी के मार्गदर्शक सिद्धांत को प्रतिस्थापित करना।

- लोकप्रिय फिल्म के अंशों द्वारा मिशन कन्वर्जेंस से जुड़े भागीदारों को गांधीवादी आदर्शों में उनकी दिलचस्पी पुनः जागृत करना।
- समकालीन ''गांधी'' या सामाजिक बदलाव लाने के इच्छुक व्यक्तियों को रोल मॉडल के रूप में दिखाकर यह बताना कि आज भी गांधीजी के सिद्धांतों पर चलना संभव है।

फेसिलिटेटर के लिए टिप्स

फेसिलिटेटर इस समूचे ऑडियो-विजुअल को एक बंधनमुक्त एवं खुले तरीके से इस्तेमाल करके सहभागियों को प्रेरित करे कि मिशन कन्वर्जेंस के पूरे कार्यक्रम को वह लोगों की मदद/सेवा देने वाले के अवसर के रूप में देखें और कमजोर वर्गों तक पहुंच बनाने के लिए वह 'व्यक्तिगत मिशन' या संकल्प के साथ आगे बढ़े।

मिशन कन्वर्जेंस पर पहला सत्र

अवधि : 2.30 घंटे (11:00 से 13:30 बजे)

- मिशन कन्वर्जेंस क्यों है?
- इसका औचित्य एवं शुरूआत
- समुदाय का योगदान
- लक्ष्य एवं उद्देश्य

टूल : मिशन डायरेक्टर श्रीमती रश्मि सिंह द्वारा ऑडियो–विजुअल प्रजेन्टेशन, सहभागियों के फीडबैक व उनके लिए अभ्यास।

विषयवस्तु :

- यह दर्शाने पर फोकस करना कि मिशन कन्वर्जेंस एक ऐसी पहल है, जिसमें जमीनी हकीकतों को पहचाना गया है।
- इससे यह भी उजागर होगा कि गरीबों को लाभ दिलाने के उद्देश्य से बनाए गए कार्यक्रम एवं योजनाओं को मुहैया कराने और उनका संचालन करने में सरकार किन–किन चुनौतियों का सामना करती है।

प्रक्रिया : 1

फाउन्डेशनल प्रोसेस की समझ

bl ckjs esa & fe'ku dUotsZal D;¨A
fe'ku dUotsZal dk v©fpR;A

इस भाग में श्रीमती रश्मि सिंह का जोर यह बताने पर है कि शहरी गरीबों का यह अधिकार है कि वह सरकार द्वारा चलाई जा रही सामाजिक हकदारी, कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जाने। इसके साथ ही उन्होंने इस तथ्य को भी उजागर किया है कि उनके जो अधिकार हैं, वह उतने व्यापक तरीके से उन तक नहीं पहुंचे है, जितने व्यापक तरीके से उन तक पहुंचने चाहिएं।

अधिकारों का व्यापक रूप से उन तक न पहुंच पाने को उदाहरण द्वारा बताते हुए वह कहती हैं कि लक्षित समूह में ''भ्रम'' बना हुआ है, तथा यह भी स्पष्ट करती हैं कि सरकार द्वारा ठोस कदम उठाने का वक्त आ गया है।

आम आदमी की दुविधाएं :

- मेरी जरूरतें क्या हैं?
- उसे पूरा करने के लिए मैं कहां जाऊं?
- किसके पास जाऊं?
- यदि वह नहीं पूरी होती है तो मैं क्या करूं?

फीडबैक :

- इससे आपको क्या लगता है कि इन चारों दुविधाओं में से सबसे प्रमुख कौन सी है?
- या फिर एक आम आदमी इन चारों दुविधाओं के साथ जूझ रहा है?

फेसिलिटेटर के लिए टिप्स

इस भाग में महत्वपूर्ण बुनियादी चिंता उठाई गई है। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि जानने का अधिकार एक बुनियादी चिंता है, जिसको संबोधित करना जरूरी है।

यह कहने के बाद प्रजेन्टर बखूबी बताता/बताती है कि हकदारी-धारकों (इनटाइटलमेंट-होल्डर्स) के लिए जानकारी की कमी का मतलब क्या होता है। और, यह कैसे उनकी जिंदगी पर प्रभाव डालता है?

मुख्य चिंता यह है कि जानकारी का अभाव लोगों को अपनी हकदारी तक पहुंचने के लिए आवश्यक क्षमता और आत्मविश्वास को घटा देता है।

सहभागियों को किस तरह से फेसिलिटेट करें– इस अवस्था में यह आवश्यक है कि सहभागियों को एक आम आदमी की ''वास्तविकता'' से रूबरू कराया जाये। वह आम आदमी जो कुछ जानता ही नहीं है, इसलिए मांग भी नहीं कर पाता है।

फेसिलिटेटर को चाहिए कि वह सहभागियों को एक आम आदमी के ''भ्रम'' व ''लाचारी'' के बारे में खुद अपना आंकलन और अनुभव पेश करने के लिए प्रेरित करे।

प्री-रिएल्टी चैक पर अभ्यास

अवधि : 30 मिनट

विषय वस्तु :

- मिशन कन्वर्जेंस के आने से पहले की स्थिति को जानना कि समुदाय सरकारी योजनाओं का लाभ क्यों नहीं ले पा रहे थे।
- समुदाय और सरकार के बीच के गैप को समझना।

टूल : समुदाय की सामाजिक–आर्थिक और डेमोग्राफिक प्रोफाइल पर हेंडआउट।

प्रक्रिया : सहभागी कोई भी लोकप्रिय स्कीम लेकर मिशन कन्वर्जेंस से पहले की स्थिति का आंकलन करे कि योजना की हकदारी लोगों तक व्यापक रूप से न पहुंच पाने में क्या रूकावटें/बाधाऐं आ रही थी।

फेसिलिटेटर के लिए टिप्स

सहभागियों के लिये यह बहुत आवश्यक है कि वह जमीनी स्तर की वास्तविकता को पहचाने। अपने आंकलन को तिगड़ी के रिएल्टी चैक से जोड़कर देखें कि वास्तविकता क्या थी।

प्रक्रिया : 2

प्रारम्भिक कदम – समुदाय से उनकी जरूरतों, चिंताओं और समस्याओं के बारे में सीखना

इस भाग में प्रस्तुतकर्ता ने तिगड़ी में समुदाय द्वारा किए गये पायलेट सर्वे पर फोकस करते हुए जमीनी स्तर पर आ रही वास्तविक चुनौतियों व हकदारी तक पहुंचने के समुदाय के रोजमर्रा के अनुभव को समझाने का प्रयास किया है।

समुदाय परिस्थितियों को समझने में सबसे बेहतर जज है, इस भाग में यह महत्वपूर्ण है कि इस हकीकत को पहचानना। विभाग द्वारा डिलिवरी प्रक्रिया–कमियां और खामियों पर समुदाय का फीडबैक काफी महत्वपूर्ण हैं। जिससे कार्यक्रम को ठोस आकार देने में काफी मदद मिलती।

तिगडी में किए गये रिएल्टी चैक सर्वे के अनुभव

- कार्यक्रम से पहले किये गये इस रिएल्टी चैक से हमें यह पता चला कि यह कार्यक्रम किस दिशा में जा रहा है और इसे किस दिशा में जाना चाहिए।
- तिगड़ी के इस छोटे से सैम्पल ने हमें यह बताया कि समुदाय किस तरह की समस्याओं के साथ जूझ रहा है, और उनकी जरूरतें क्या हैं?

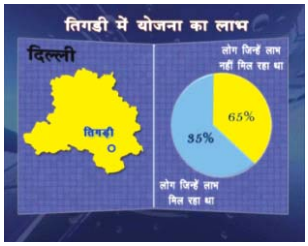

प्रश्न:

- आपको क्या लगता है कि वृद्धावस्था पेंशन और विधवा पेंशन के ऊपर किया गया यह रिएल्टी चैक पर्याप्त है?
- या फिर हमें और कई अन्य योजनाओं पर भी रिएल्टी चैक करना चाहिये?

फीडबैक:

- क्या आप इस आंकलन से सहमत हैं?
- क्या आप यह समझते हैं समुदाय की आवाज को सुना गया है?

फेसिलिटेटर के लिए टिप्स

सहभागियों के लिए यह बहुत आवश्यक है कि वह इस जमीनी स्तर की प्रक्रिया को पहचाने।

क्या सभी सहभागी समुदाय के इस आंकलन से सहमत हैं?

इसके अलावा भी वह कुछ कहना चाहते हैं? अगर हां तो क्या?

ऐसी कौन सी फीडबैक है जो सहभागी समझते हैं, जिसने इस मुद्दे को सही तरह से उठाया है।

प्रक्रिया : 3

लक्ष्य एवं उद्देश्य

इस भाग में प्रजेन्टर पहले इस कार्यक्रम के प्रमुख लक्ष्यों पर फोकस करता/करती है और विशेष रूप से एक समन्वित और सभी भागीदारों के जरिए समाज के सर्वाधिक कमजोर व्यक्तियों तक पहुंच बनाने पर जोर देता/देती है।

अनुभव बांटिए :

- जैसा कि पिछले एक साल से आप इस मिशन के साथ जुड़े हुए हैं, तो क्या आपको भी लगता है कि यह एक अनोखा प्रयास है।
- क्या यह वास्तव में योजनाओं की सुपुर्दगी में नये आयाम प्रस्तुत कर रहा है।
- क्या यह संभव है ।
- आप अपना सकारात्मक अनुभव बांटें।

सहभागियों का फीडबैक :

चूंकि सीखने वालों के दिलोदिमाग में यह बात बिठाना अत्यंत जरूरी है कि इस कार्यक्रम का लक्ष्य समाज के सक्रिय सहयोग से योजना की सुपुर्दगी में आमूल–चूल बदलाव लाना है, इसके लिए हमें यह देखना होगा कि इस लक्ष्य के बारे में सहभागी क्या सोचते–समझते हैं।

क्या इस लक्ष्य की प्राप्ति में उनका भरोसा है? क्या पिछले कुछ महीनों में उन्होंने ऐसा कुछ देखा है, जो इस बारे में उन्हें आत्मविश्वासी बनाए? क्या इस दिशा में कार्य करने में उनकी कोई आशंकाएं हैं? फेसिलिटेटर की भूमिका सकारात्मक अनुभवों पर जोर देने और सभी संदेहों एवं आशंकाओं को मिटाने की होगी ताकि प्रशिक्षण के भिन्न–भिन्न मौकों पर हम लगातार पुनः जोर दें और इसके साथ जुड़े रहें।

मिशन कन्वर्जेंस के सामरिक उद्देश्य :

अगले भाग में प्रस्तुतकर्ता सामरिक उद्देश्यों पर प्रकाश डालता है–

- समुदाय का सशक्तीकरण
- सरकार–एन.जी.ओ. (स्वयंसेवी संगठन)– समुदाय की साझेदारी
- लैंगिक समानता
- सामाजिक बदलाव
- महिला सशक्तीकरण और अंतिम, किंतु महत्वपूर्ण
- हकदारी आभार नहीं अधिकार

चर्चा के लिए प्रश्न :

- समुदाय को सशक्त करना मिशन कन्वर्जेंस का मुख्य ध्येय है। क्या हम इस ध्येय को पूरा कर पायेंगे?
- इस ध्येय को पूरा करने के लिए आपका पहला कदम क्या होगा?

मिशन कन्वर्जेंस के व्यवहारिक उद्देश्य :

- एकल खिड़की प्रणाली
- शासन लोगों तक पहुंचे
- इन सब जानकारी को कॉमन लेकर डाटाबेस तैयार करना

फीडबैक:

अगर आपको इस कार्यक्रम के बारे में उस समुदाय को बताना है, जिसका इस सिस्टम पर भरोसा ही नहीं है, और अगर आपको ऐसे समुदाय के मन में आशा और विश्वास जगाना है तो इसके लिए आप क्या करेंगे?

फेसिलिटेटर के लिए टिप्स

यह बेहद जरूरी है कि सहभागी इन उद्देश्यों को इस कार्यक्रम के मार्गदर्शक के रूप में देखें। इस प्रकार, उपरोक्त सूचीबद्ध की गई रणनीतियां अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाती हैं।

इस बारे में एक फीडबैक होना चाहिए कि कौनसी रणनीति उनके लिए उपयोगी रही है और किस प्रकार। यदि इन रणनीतियों की प्राथमिकताएं बनाने को कहा जाए तो वे किस प्रकार ऐसा करेंगे? यदि उन्हें सभी को एकत्र करने को कहा जाए, तो वे किस प्रकार सबको परस्पर जोड़ेंगे?

अगले भाग में वह व्यवहारिक उद्देश्यों पर फोकस करता है। इनमें शामिल हैं– सिंगल विन्डो सिस्टम, आम व्यक्ति के द्वार पर सरकारी व्यवस्था और सिंगल रजिस्ट्री।

कम्यूनिकेशन अभ्यास

अवधि : 30 मिनट

सहभागी किस तरह समुदाय को बताएंगे-

- मिशन कन्वर्जेंस की शुरूआत कैसे हुई और इसके लिए क्या किया गया।
- मिशन कन्वर्जेंस के सिद्धान्त और लक्ष्य।
- मिशन कन्वर्जेंस के उद्देश्य।

प्रक्रिया :

सहभागियों को तीन समूहों में बांटा जाए। प्रत्येक समूह को उपरोक्त में से एक विषय दिया जाए और कहा जाए कि उन्हें एक कम्यूनिटी मीटिंग की तैयारी करनी है जिसमें उन्हें दिये गए विषय को समुदाय को बताना है। प्रत्येक ग्रुप को इसे प्रेजेन्ट करना है तथा प्रत्येक प्रेजेन्टेशन के पहले उन्हें यह बताना है कि किस समुदाय को सम्बोधित कर रहे हैं, मीटिंग का दिन व समय और कितने बड़े समूह को सम्बोधित कर रहे हैं।

फेसिलिटेटर के लिए टिप्स

यह कम्यूनिकेशन अभ्यास है और यह बेहद जरूरी है कि सहभागी समुदाय को कितनी सहजता व सरलता तरीके से बता पाते हैं।
फेसिलेटेटर यह सुनिश्चित करें कि संदेश क्या दिया गया और पब्लिक मीटिंग को किस तरह से संबोधित किया गया।

प्रक्रिया : 4

मिशन कन्वर्जेंस का ढांचा

अवधि : 3:30 घंटे (14:00 से 17:30 बजे)

यह भाग दो हिस्सों में बांटा गया है।

पहले हिस्से में नीति निर्माण और नीति समीक्षक ढांचे जैसे कि पॉलिसी रिव्यू कमेटी, स्टेट कन्वर्जेंस फोरम और डिस्ट्रिक्ट कन्वर्जेंस फोरम पर फोकस किया गया है।

दूसरे हिस्से में अमलकर्ता ढांचा, जैसे– डी.आर.सी./डी.एम.यू., जी.आर.सी., मदर एन.जी.ओ. एवं प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट और उस तरीके की जांच–पड़ताल की गई है, जिसमें प्रत्येक संगठन अन्य संगठनों के साथ मिलकर सामंजस्य बिठाता है ताकि एक समन्वित तरीके से कार्यक्रम पर अमल हो सके।

नीति समीक्षा ढांचा :

पहले हिस्से में बताया गया है कि स्टेट कन्वर्जेंस फोरम और डिस्ट्रिक्ट कन्वर्जेंस फोरम किस प्रकार कार्य करते हैं, तथा उसके परामर्शी एवं सहयोगी तरीके पर जोर दिया गया है। यह फोरम नीति व कार्यक्रम के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं का चर्चा एवं समीक्षा के द्वारा हल निकालते हैं तथा कार्यक्रम व नीति संबंधी रोजमर्रा के अमल में आने वाले मामलों को निपटाते हैं।

इस बात पर जोर देना अत्यंत आवश्यक है कि प्रत्येक स्टेकहोल्डर्स इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं– कुछ स्टेट कन्वर्जेंस फोरम पर और बाकी डिस्ट्रिक्ट कन्वर्जेंस फोरम पर।

फीडबैक :

- स्टेट कन्वर्जेंस फोरम में किस प्रकार के नीतिगत फैसले लिये जाते हैं?

- जैसा कि आप पिछले एक साल से मिशन कन्वर्जेंस से जुड़े हुए हैं कि आप बताये कि ऐसे कौन से नीतिगत फैसले स्टेट कन्वर्जेंस फोरम में लिए गये जो जी.आर.सी./डी.आर.सी./डी.एम.यू./डिपार्टमेंट के स्तर पर मद्दगार साबित हुए।

- सरकारी और गैर–सरकारी स्तर के भागीदार होने के नाते क्या आप अपना ऐसा कोई अनुभव हमारे साथ बांटना चाहेंगे जिसमें आपको सही मायने में कन्वर्जेंस की अनुभूति हुई हो। जैसे शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम हो, गरीबी उन्मूलन से संबंधित कार्यक्रम को या फिर स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम हो।

सहभागियों का फीडबैक :

यह बेहद जरूरी है कि सहभागी इन फोरम द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका को सराहें।

यह फोरम न सिर्फ कन्वर्जेंस, समन्वय एवं साझेदारी के प्रतीक हैं, बल्कि एक ऐसे मंच भी हैं, जो पारदर्शिता को बढ़ावा देते हैं, एक–दूसरे को संवेदनशील बनाने में हमें समर्थ बनाते हैं, कमजोर समूहों के बारे में एक साझा समझ का निर्माण करते हैं तथा फोरम यह मार्ग भी प्रशस्त करते हैं कि कितने बेहतर तरीके से इन कमजोर समूहों तक पहुंच कायम की जाए और पारस्परिक रूप से जवाबदेह बनें।

इस फीडबैक अभ्यास का जोर सहभागियों को चिंतनशील और प्रक्रिया में अपने स्वामित्व को बढ़ावा देने पर किया जाना चाहिए।

स्टेट कन्वर्जेंस फोरम के मामले में यह बेहद जरूरी है कि इस फोरम में ऐसे कौन से फैसले लिए गये जो आपके लिए सबसे अधिक मायने रखते हैं।

फीडबैक :

- चलिए अब पीछे चलते हैं और याद करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कन्वर्जेंस फोरम को सशक्त बनाने के लिए हमने क्या योगदान दिया।
- अगर हमें इसे और सशक्त बनाना है और प्रभावी बनाना है तो इसके लिए हमें क्या कदम उठाने होंगे।

सहभागियों का फीडबैक :

डिस्ट्रिक्ट कन्वर्जेंस फोरम के मामले में सहभागियों को प्रोत्साहित किया जाए कि वह खुद से मूल्यांकन करें कि उन्होंने इस फोरम के लोकतांत्रिक और प्रभावी कार्यप्रणाली को मजबूत करने के लिए क्या योगदान दिया।

कार्यक्रम को चलाने वाला ढांचा :

दूसरे हिस्से में कार्यक्रम को चलाने वाले ढांचे के प्रत्येक स्टेकहोल्डर्स– डी.आर.सी /डी.एम.यू., जी.आर.सी., मदर एन.जी.ओ. और प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट कार्य करते हैं और उनका एक–दूसरे के साथ संबंध और एक–दूसरे पर निर्भरता को दर्शाता है।

इस बात पर जोर देना होगा कि प्रत्येक सहभागी इससे वाकिफ हों कि उससे क्या करने या डिलीवर करने संबंधी अपेक्षाएं की जाती हैं– इस सत्र में यह बताने की कोशिश की जा रही है कि एक समझ कायम की जाए और अन्य स्टेकहोल्डर्स को भी सराहा जाए। अंततः हमें उनमें एक स्वस्थ समझ और एक–दूसरे के सम्मान की भावना विकसित करनी होगी।

इस सत्र के अंत में यह समझना आवश्यक है कि मिशन कन्वर्जेंस ढांचे की रोजमर्रा के कार्य के क्रियान्वयन में उसके प्रभाव तथा साथ ही साथ उसके समक्ष क्या चुनौतियां है। प्रत्येक स्टेकहोल्डर्स की अपनी एक भूमिका है, लेकिन समुदाय तक पहुंचने में हमें एक साथ मिलकर काम करना होगा।

रोल प्ले अभ्यास

विषय वस्तु :

रोल प्ले का उद्देश्य सहभागी मिशन कन्वर्जेंस के ढांचे के साथ खुद को जोड़ पाए। उन्हें यह अहसास हो कि यह तो मेरा ही कार्यक्रम है और मुझे भी इस ढांचे को मजबूत करना है। यह ढांचा उनके लिए बोझ नहीं है। बल्कि यह एक सहज प्रक्रिया है जो कि मिशन कन्वर्जेंस के उद्देश्य को पूरा करने में मदद करता है।

प्रक्रिया :

फेसिलेटेटर सहभागियों को दो ग्रुप के बांटे तथा प्रत्येक ग्रुप को एक रोल प्ले के लिए कहे। एक ग्रुप समुदाय रोल प्ले करेगा तथा दूसरा ग्रुप कम्यूनिटी मोबिलाइजर का।

jky ly & 1 ¼lenk;½

मैं स्कीम का हकदार हूं। इस कार्यक्रम से मेरा लगातार जुड़ाव कम्यूनिटी मोबिलाइजर के द्वारा ही होता है। यह कम्यूनिटी मोबिलाइजर हमारे जैसे 20 लोगों से रोज मुलाकात करते हैं। मैं कैसे सुनिश्चित करूं की मेरी आवाज सुनी जा रही है?

टिप्स :

समुदाय होने के नाते आप चाहते हैं कि आपकी आवाज भी सुनी जाए। कुछ बिंदु जिनको रोल प्ले में शामिल किया जा सकता है –

- मैं एक स्कीम का लाभ प्राप्त करने का हकदार हूं।
- यह पूरी प्रक्रिया इतनी मैकेनिकल और समय लेने वाली है।
- लोग मुझे और मेरे परिवार की असुरक्षा को नहीं जानते हैं।
- मैं अपनी असुरक्षा को कम्यूनिटी मोबिलाइजर/जी.आर.सी. को कैसे बताऊं।
- मैं अपनी हकदारी को किस तरह से सुनिश्चित करूं। मुझे पता नहीं कि कौन से दस्तावेज लगाने हैं।

jksy Iys & 2 ¼dE;fuVh eksfcykbtj½

मैं कम्यूनिटी मोबिलाइजर हूं। मैं जी.आर.सी. के साथ जुड़ा हूं तथा मैं जी.आर.सी. और समुदाय के बीच कड़ी का काम करता हूं। मैं मिशन कन्वर्जेंस के इस ढांचे को किस प्रकार जिम्मेदार बनाऊं कि वह समुदाय की बहु–आयामी आवश्यकताओं और उम्मीदों को पूरा कर सके।

टिप्स :

कम्यूनिटी मोबिलाइजर होने के नाते आप चाहते हैं कि यह ढांचा समुदाय की जरूरतों को जाने। कुछ बिंदु जिनको रोल प्ले में शामिल किया जा सकता है–

- जी.आर.सी. में कई प्रोग्राम चला रही है और मुझे हर प्रोग्राम में शामिल होना पड़ता है चाहे वह हेल्थ कैम्प हो, न्यूट्रिशन कैम्प हो, अवेयरेस कैम्प या स्कीम के फॉर्म भरने हो।
- मैं समुदाय के लिए इस प्रोग्राम का चेहरा हूं।
- मैं आउटरीच के दौरान कई जरूरतमंद लोगों से मिलता हूं जिनको मदद की जरूरत है।
- मैं इन जरूरतमंदों की प्रोफाइल बनाकर अपनी जी.आर.सी. में चर्चा करता हूं। अगर जी.आर.सी. के स्तर पर उनकी समस्याएं हल हो सकती है तो की जाती है अन्यथा इसके ऊपर के स्तर डी.आर.सी. के पास भेजा जाता है और साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट कन्वर्जेंस फोरम में रखा जाता है।
- मैं उस जरूरमंद व्यक्ति तक पहुंचकर हमारे द्वारा उठाये गये कदमों के बारे में बताता हूं तथा उसे समझाता हूं कि यह ढांचा किस तरह उसकी जरूरतों को हल करने में मदद करता रहा है।

फेसिलिटेटर के लिए टिप्स

यह फेसिलिटेटर यह सुनिश्चित करे कि रोल प्ले के दौरान समुदाय की आवश्यकताएं निकल कर आएं और उसको कैसे संबोधित किया जा रहा है और सहभागी समुदाय की जरूरतों को महसूस कर पा रहे हैं।

मॉड्यूल- 2

- सर्वे
- स्कीम

प्रमुख उद्देश्य

सहभागियों को समर्थ बनाना जिससे कि वह समझ सके :

- सर्वे क्यों कराया गया और सर्वे का औचित्य क्या है और यह सर्वे अन्य सर्वेक्षणों से कैसे भिन्न है।
- सर्वे कैसे सामाजिक हकदारी की डिलीवरी को व्यापक बनाने के लिए प्लानिंग, मॉनिटरिंग और मूल्यांकन टूल के रूप में मदद करता है।
- सर्वे कैसे सेफ्टीनेट प्रोग्राम को समन्वित तरीके से डिलीवरी तथा गरीबी के मुद्दे को भागीदारी के द्वारा संबोधित करने में मदद करता है।

शुरुआती सत्रः सर्वे के पहले का अभ्यास

अवधि : 30 मिनट (10:00 से 10.30 बजे तक)

विषय वस्तु :

- इस अभ्यास का मकसद सहभागियों को सर्वे से जोड़ना जो उन्होंने सर्वे के प्रथम और द्वितीय चरण में किया था। सर्वे में उन्होंने क्या जानकारी दर्ज की व सर्वे से उन्हें किन बातों का पता चला।

टूलः सर्वे डाटा शीट पर हैंडआउट

प्रक्रिया :

सहभागियों को एक गली/लेन के 15–20 परिवार के सदस्यों का ब्यौरा दिया जाए तथा उसके आधार पर सहभागी प्रश्नों पर चर्चा की जाए और सर्वे में निकल कर आये विभिन्न असुरक्षित लोगों की असुरक्षा एक–दूसरे से कैसे भिन्न हैं।

फेसिलिटेटर के लिए टिप्स

इस स्तर पर यह जानना जरूरी है कि सहभागी यह समझ पाए
कि सर्वे क्या स्थापित करता है
सहभागी विभिन्न असुरक्षित वर्गों की असुरक्षा को समझ सके।

सर्वे पर पहला सत्र

अवधि : 3.:00 घंटे (10:30 से 1:30 बजे)

- सर्वे क्यों ?
- सर्वे का औचित्य क्या है?

टूल : मिशन डायरेक्टर श्रीमती रश्मि सिंह, हर्ष मंदर और बिराज पटनायक, विशेषज्ञों द्वारा ऑडियो विजुअल प्रजेन्टेशन और सहभागियों के फीडबैक व उनके लिए अभ्यास।

विषय वस्तु :

- यह दर्शाने पर फोकस करना कि सर्वे से निकलकर आए तथ्य आंशिक रूप से सांख्यिकीय और आंशिक रूप से गुणात्मक है। जोकि जरूरतमंद परिवारों की काफी विस्तृत जानकारी देते हैं
- तथा सरकार और समाज के बीच एक नया 'सामाजिक अनुबंध' बनाते हैं।
- सेप्टी नेट प्रोग्राम की समन्वित तरीके से डिलीवरी की प्लानिंग तथा गरीबी के मुद्दे को भागीदारी के द्वारा संबोधित करने में सर्वे किस तरह मदद करता है।
- सामाजिक हकदारी की डिलीवरी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में प्लानिंग, मॉनिटरिंग और मूल्यांकन टूल के रूप में सर्वे की अहमियत को समझना।

प्रक्रिया : 1

bl ckjs esa & lo D;ksa\
lo dk vkSfpR; D;k gS\

इस भाग में श्रीमती रश्मि सिंह का फोकस यह बताने पर है कि सर्वे कराने के पीछे क्या कारण थे। इससे पहले सरकार के पास गरीब परिवार के आंकड़े नहीं थे। सामाजिक सुविधा संगम ने नई शुरूआत की कि सरकार स्वयं जाकर लोगों की पहचान करे। यह पहचान केवल आंकड़ों की नहीं थी। सर्वे किसी रिसर्च ऐजेंसी से नहीं करवाया गया है बल्कि उन्हीं लोगों ने किया है जिन्हें आगे चलकर इन्हीं लोगों के साथ काम करना है।

bl ckjs esa & ;g lo ckdh lo{k.kksa ls dSls fHkUu gSA

इस भाग में श्री हर्ष मंदर और श्री विराज पटनायक, विशेषज्ञों का फोकस यह बताने पर है कि सरकार पहली बार ऐसे सूचकांक लेकर आई है जो कि सही मायने में गरीबों की पहचान करते हैं और इससे पहले जो भी सर्वे होते आए हैं वह आय के आधार पर किये जाते थे लेकिन इस सर्वे में लोगों की रहने का स्थान और उनकी असुरक्षा को गरीबी का आधार माना गया।

फीडबैक :

क्या आप इस बात से सहमत हैं कि सर्वे के माध्यम से गरीबी को विकास के नजरिये से देखने की कोशिश की गई है न कि उनके जीवन के नजरिये से।

सहभागियों का फीडबैक :

यह बेहद जरूरी है कि सहभागी यह समझे सके कि सर्वे शहरी गरीबों के विभिन्न आयामों को संबोधित कर रहा है। यह सर्वे शहरी गरीबों को विकास के नजरिये से देखने का प्रयास है जिसमें पहली बार सरकार ने गरीबों की पहचान के लिए नये सूचकांक लिये हैं।

फेसिलिटेटर के लिए टिप्स

यह जरूरी है कि सभी प्रतिभागी समझ सकें कि
सर्वे क्यों करवाया गया है व इस सर्वे से किनकी पहचान करना चाहते है।

इस सर्वे में नवीनतम बात क्या है?

सर्वे में कौन से नए सूचकांक लिए गए?

क्या प्रतिभागी इस बात से सहमत हैं कि यह सर्वे गरीबों के
विभिन्न आयामों को सम्बोधित करता है?

आउटरीच प्लानिंग अभ्यास

अवधि : 1 घंटा

विषय वस्तु :

सामाजिक हकदारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में सर्वे को प्लानिंग मॉनिटरिंग और इवेल्यूएशन टूल के रूप में इस्तेमाल करना।

टूल : कम्यूनिटी पर सर्वे डाटा शीट

प्रक्रिया : प्रतिभागियों को 3 समूहों में बांटा जाए तथा उन तीनों समूहों को एक समुदाय की सर्वे शीट दी जाए तथा उनसे कहा जाए कि आपके पास अपने समुदाय के आंकड़े मौजूद हैं। प्रत्येक परिवार व उनमें रहने वाले सदस्यों की असुरक्षा को देखते हुए, इन असुरक्षित लोगों तक सेवाओं/आउटरीच की प्राथमिकता तय करने के लिए रणनीति बनाए तथा उसके बाद प्रत्येक ग्रुप उनके द्वारा की गई प्लानिंग को प्रेजेंट करें।

फेसिलिटेटर के लिए टिप्स

प्रतिभागी यह समझ सके कि सर्वे को कैसे प्लानिंग और आऊटरीच टूल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, लोगों की असुरक्षा को पहचान सकते हैं। समुदाय को सर्वे के बारे में क्या बताया जाए और मिशन कन्वर्जेंस के लिए सर्वे के क्या मायने हैं।

योजनाओं की सुपुर्दगी

अवधि : 3:30 घंटे (14:00 से 17.30 बजे तक)

- सामाजिक हकदारी की डिलीवरी को व्यापक बनाना।
- इन असुरक्षित वर्गों को न केवल योजनाओं के साथ जोड़ना बल्कि जी.आर.सी. के विभिन्न अन्य कार्यक्रमों के साथ जोड़कर उनको एक सेफ्टी नेट प्रदान करना।

टूल : योजनाओं की सुपुर्दगी पर पॉवरपोंइट प्रेजेंटेशन

विषय वस्तु :

- हम क्या करना चाहते हैं।
- डिपार्टमेंट क्या करना चाहते हैं।
- मिशन कन्वर्जेंस क्या करना चाहता है।
- समुदाय के सबसे निचले स्तर की प्रोफाइल बनाना।
- केस स्टडी के माध्यम से परिवार को सेफ्टी नेट प्रदान करना।
- असुरक्षित व्यक्ति की प्रोफाइल तैयार करना व उसकी हकदारी को सुनिश्चित करने के लिए क्या–क्या प्रयास किये जा सकते हैं। इस पर चर्चा करना।

स्लाइड 1

हम क्या करना चाहते हैं ?

- सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं को ''सही हकदारी'' के रूप में तथा सर्वे से निकल कर आए गरीब व अति गरीब परिवारों तक पहुंचाना।
- ढांचे, भागीदारों, कार्यक्रमों, योजनाओं, सेवाओं, संसाधनों, लाभार्थियों व योजनाओं की सुपुर्दगी के बीच सगंम और समन्वय स्थापित करना।
- एकल सूची, योजनाओं की सुपुर्दगी के लिए एकल खिड़की, गरीबों की बहुआयामी असुरक्षा को पहचानने, समुदाय के सशक्तिकरण और प्रोग्राम की पारदर्शिता जैसे प्रक्रिया में सरकार, स्वयंसेवी संस्थाओं व समुदाय के बीच भागीदारी स्थापित करना।

1

फेसिलिटेटर के टिप्स

फेसिलिटेटर इस स्लाइड में दिए गए मुद्दों को पहले हुई चर्चाओं से जोड़कर बताएं कि उनके क्या मायने हैं।

फेसिलिटेटर सहभागियों को बताएं की 'सामाजिक हकदारी' क्या है?

मिशन कन्वर्जेंस के ढांचे को दुबारा दिखाते हुए यह बताएं कि किस तरह सभी भागीदारों के बीच समन्वय और संगम को मजबूत करना चाहते हैं।

स्लाइड 2

विभाग क्या करना चाहते हैं ?

- विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का मकसद कमजोर वर्गों को केवल योजनाओं का वितरण/सुपुर्दगी करना ही नहीं बल्कि सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना भी है। क्योंकि इन लोगों की परिस्थितियां बहुत ही अनिश्चितापूर्ण है।
- गरीबों के लिए व्यापक सुरक्षा तंत्र कार्यक्रम स्थापित करना ।
- विभाग के द्वारा परिभाषित जनादेश के अनुसार गरीबों के लिए विशिष्ट योजनाओं और कार्यक्रमों के द्वारा उनके 'जीवन को बेहतर' बनाना।

मिशन कन्वर्जेंस क्या करना चाहता हैं ?

- योजनाओं की अंतिम व्यक्ति तक पहुंच को सुनिश्चित करना
- योजनाओं के वितरण में आने वाली समस्याओं का समाधान करना।
- सशक्त व टिकाऊ ढांचे की संरचना तैयार करना।

2

फेसिलिटेटर के लिए टिप्स

फेसिलिटेटर उदाहरण के द्वारा बताएं कि किस प्रकार सभी विभागों की योजनाओं को एक साथ जोड़कर देखा जाये तो वह भी एक परिवार को सुरक्षा तंत्र प्रदान करती है।

फेसिलिटेटर मिशन स्ट्रक्चर के समय हुई चर्चा की तरफ सहभागियों को लेकर जाये कि किस तरह से स्टेट कन्वर्जेस फोरम व डिस्ट्रिक्ट कन्वर्जेंस फोरम ने जमीनी स्तर पर आ रही कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया।

फेसिलिटेटर उन्हीं सभी फैसलों को छोटी सी चर्चा के द्वारा सहभागियों के सामने रखे।

स्लाइड 3

समुदाय के सबसे निचले स्तर पर योजनाओं का वितरण

शहरी गरीबों की पहचान

• इलाका	:	भूमिहीन कैम्प, कालकाजी, दक्षिण जिला
• किस प्रकार का इलाका	:	झुग्गी बस्ती
• कुल परिवार जिनका सर्वे किया गया	:	1835
• कुल जनसंख्या जिनका सर्वे हुआ	:	8109
• सामाजिक रूप से कमजोर जनसंख्या	:	838 (10.33%)
• व्यवसायिक रूप से कमजोर वर्ग की जनसंख्या	:	1847 (22.77%)
• कुल	:	2685 (33.1%)
• कमजोर वर्ग के परिवार (सामाजिक और व्यवसायिक दोनों प्रकार से कमजोर वर्ग के परिवार)	:	1450
• विभिन्न प्रकार के कमजोर वर्ग के परिवार	:	562

3

इस स्लाइड में बताया गया है कि किस तरह हम समुदाय के सबसे छोटे स्तर तक की प्रोफाइल तैयार कर सकते हैं। किस तरह से उन संभावित हकदारों तक एकल खिड़की प्रणाली द्वारा समय पर योजनाओं और सामाजिक सुरक्षा तंत्र को पहुंचा सकते हैं।

फेसिलिटेटर के टिप्स

सहभागी यह समझ सके कि क्लस्टर की प्रोफाइल उनको किस तरह से व्यक्तिगत प्लानिंग, टाइम मैनेजमेंट की प्लानिंग, आउटरिच प्लानिंग और डिलीवरी प्लानिंग में मदद कर सकती है।

स्लाइड 4

चुनौतियां क्या हैं?

- योजनाओं को सुगम बनाना।
- प्रशासनिक व्यवस्था और प्रभावी बनाना।
- पहचान की पुष्टि के लिए कॉमन डाटाबेस का प्रयोग पर जोर।
- समुदाय केंद्रित डिलीवरी व्यवस्था तैयार करना।
- महत्वपूर्ण कदम – कॉमन एप्लीकेशन फार्म की मांगों को पूरा करने के लिए समान प्रणाली बनाना – आवेदन के सत्यापन व मंजूरी के लिए।

4

फेसिलिटेटर के लिए टिप्स

सहभागी यह समझ सके कि समुदाय केंद्रित व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए अभी भी चुनौतियां हैं जिसको दूर करने के लिए समन्वित प्रयास की जरूरत है।

स्लाइड 5

क्या बदलाव किए गए हैं?

- पात्रता के दायरे का विस्तार
- जी.आर.सी. को सत्यापन की जिम्मेदारी
- जरूरतमंद और योग्य लोगों/परिवारों को अधिक से अधिक संख्या में शामिल करने का प्रयास

5

फेसिलिटेटर के टिप्स

फेसिलिटेटर सहभागियों के साथ चर्चा कर इन पर दुबारा रोशनी डालें जिससे सहभागी समझ सकें कि किस तरह नई गाइडलाइन बेहतर योजनाओं की सुपुर्दगी में मदद कर रही है।

स्लाइड 6

केस स्टडी -1

नाम	:	लक्ष्मी
उम्र	:	45
पता	:	इ–404 जे0जे0 कॉलोनी बवाना दिल्ली–99
दिल्ली में रहने की अवधि	:	45 वर्ष (लगभग)
आय का स्त्रोत	:	लक्ष्मी जी भीख मांगती हैं ।

6

चर्चा : लक्ष्मी की केस स्टडी को दिखाकर चर्चा की जाए कि मिशन कन्वर्जेस लक्ष्मी की किस तरह से मदद कर सकता है ।

फेसिलिटेटर के लिए टिप्स

सहभागी यह समझ सके कि वह परिवार जो विभिन्न प्रकार की असुरक्षा से जूझ रहे हैं कि उनकी असुरक्षा को किस प्रकार से संबोधित किया जाए। उनमें से उनकी कौन सी असुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए।

सत्र संचालन व टूल

Ø-	I =	Vy
	ekM;y&1	
1.	आइस ब्रेकिंग	फोटोग्राफ व न्यूज पेपर कटिंग का कोलाज
2.	परिस्थिति विषयक आंकलन	ऑडियो–विजुअल
3.	मूल्य स्पष्टीकरण	गाँधीजी पर ऑडियो–विजुअल
4.	फाउन्डेशनल प्रोसेस की समझ मिशन कन्वर्जेस क्यों औचित्य और शुरूआत	चर्चा फीडबैक
5.	प्री–रिएल्टी चैक अभ्यास	समुदाय की सामाजिक–आर्थिक और डेमोग्राफी प्रोफाइल पर हैंडआउट
6.	प्रारंभिक कदम–समुदाय उनकी जरूरतों, चिंताओं और समस्याओं के बारे में सीखना (तिगड़ी पर किया रियल्टी चैक)	ऑडियो विजुअल प्रेजटेंशन फीडबैक
7.	लक्ष्य और उद्देश्य	ऑडियो विजुअल अनुभव बांटिए फीडबैक चर्चा
8.	कम्यूनिकेशन अभ्यास	अभ्यास
9.	मिशन कन्वर्जेस का ढांचा	ऑडियो विजुअल अनुभव बांटिए रोल प्ले
	ekM;y&2	
10.	सर्वे के पहले का अभ्यास	सर्वे डाटाशीट पर हैंडआउट और असुरक्षित वर्गों की असुरक्षा पर चर्चा
11.	सर्वे	ऑडियो विजुअल फीडबैक
12.	आउटरीच प्लानिंग अभ्यास	कम्युनिटी की सर्वे डाटाशीट और प्लानिंग
13.	योजनाओं की सुपुर्दगी	पॉवर पोइंट प्रेजेन्टेंशन
14.	सहभागियों की ट्रेनिंग वर्कशाप	चर्चा

Programme Management Unit
Room No.-403 & 404, 'B'-wing, 4th Level
Delhi Secretariat, I.P. Estate
New Delhi - 110002
(INDIA)
Phone: 011-23392398
Telefax: 011-23392408
E-mail: samajik.suvidha.sangam@gmail.com